202 42 अतिरिक्त प्रभार के लिए अतिरिक्त मेहनताना और किसी उच्चतर पद की अतिरिक्त जिम्मेदारियों के निर्वहन हेतु उच्चतर पीआरपी

उसी अथवा किसी अन्य सीपीएसई में बोर्ड स्तर के किसी पद का अतिरिक्त प्रभार धारण करने के लिए अतिरिक्त मेहनताने और साथ ही उसी अथवा किसी अन्य सीपीएसई में बोर्ड स्तर के किसी पद का अतिरिक्त प्रभार धारण करने के लिए उच्चतर निष्पादन संबद्ध वेतन पीआरपी की पात्रता का मुद्दा बीते दिनों में डीपीई को संदर्भित किया गया था। ऐसे प्रत्येक अवसरों पर पर्याप्त विचार–विमर्श के पश्चात यह निश्चय किया गया कि उसी अथवा किसी अन्य सीपीएसई में बोर्ड स्तर के किसी उच्चतर पद का अतिरिक्त प्रभार धारण करने के लिए अतिरिक्त मेहनताना अथवा उच्चतर पीआरपी स्वीकृत करना संभव नहीं है।

2. इन मुद्दों पर बार–बार किए जाने वाले प्रश्नों से बचने के प्रयोजन से एक बार पुनः यह स्पष्ट किया जाता है कि उसी अथवा किसी अन्य सीपीएसई में बोर्ड स्तर के किसी उच्चतर पद का अतिरिक्त प्रभार धारण करने के लिए अतिरिक्त मेहनताने का भुगतान नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार उसी अथवा किसी अन्य सीपीएसई में बोर्ड स्तर के किसी अन्य पद या उच्चतर स्तर के किसी पद का अतिरिक्त प्रभार धारण करने के लिए बोर्ड स्तर के कार्यपालकों के संदर्भ में पीआरपी की कोई उच्चतर दर लागू नहीं होगी।

3. यह सचिव (डीपीई) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(डीपीई का. ज्ञा. सं. जे 72/05–डीपीई (डब्ल्यूसी), दिनांक 31 मई, 2012)

*****